प्रेस नोट थाना नौबस्ता

अपहरण करने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर, श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून / व्यवस्था कानपुर नगर एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिण महोदय के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त नौबस्ता के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.08.2023 को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 448/2023 से सम्बन्धित अपहृता जनपद सुलतानपुर में रेलवे स्टेशन पर बरामद होकर सुल्तानपुर कोतवाली में मौजूद हैं प्राप्त सूचना पर उ0नि0 प्रदीप कुमार सिरोही व उपनि0 राजेश कुमार व उपनि0 रजनीश कुमार मय हमराह का0 124 अजय व म0का0 198 कंचन रवाना उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर थाना कोतवाली सुल्तानपुर आए जहाँ पर थाना को0 सुल्तानपुर की महिला हेल्प डेक्स पर महिला आरक्षी के संरक्षण मौजूद मिली जिससे महिला आरक्षी कंचन के द्वारा सुपुर्दगी में लेकर पूछताछ की गई तो बताया कि मैं और मेरी सहेली घर वालों की डांट फटकार से नाराज होकर दिनांक 24/8/23 को घर से बिना बताए ट्रेन से कानपुर से बनारस आ गए जहां कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो वाले दो लड़के मिले जिनका नाम रवि गुप्ता तथा आरिफ था जो हमको फुसलाकर स्टेशन के पास के पवन गेस्ट हाउस होटल में ले गए तथा वहां होटल वालों से सांठ गांठ करके कमरे में ले गए तथा आरिफ मुझे बगल के कमरे में ले गया और मेरी नाजुक अंगों से छेड़छाड़ करने लगा तथा सेक्स करने का प्रयास किया तो मैने शोर मचा दिया तो बगल के कमरे से मेरी सहेली ने आकर मेरा दरवाजा खुलवाया फिर हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहे सुबह होने पर आरिफ चला गया और रवि गुप्ता हमें बहला फुसलाकर दिनभर घूमाता रहा फिर शाम के करीब 4:00 बजे कैंट स्टेशन बनारस पर केवल मुझे छोड़ कर चला गया और मेरी सहेली को फुसलाकर अपने साथ ले गया फिर मैं कानपुर की ट्रेन पड़कर आ रही थी तो पुलिस ने मुझे सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर उतर कर यहां थाना कोतवाली सुल्तानपुर में छोड़ गए थे। जहां पर आप लोग आए हैं बनारस में मैंने किसी प्रकार रवि गुप्ता का मोबाइल नं0 8808636189 ले लिया था। तत्पश्चात अपहृता के साथ लेकर आरोपी रवि गुप्ता के मोबाइल नंबर 8808636189 की लोकेशन सर्वेलेस के माध्यम से जारी मोबाइल प्राप्त करके बताए गए लोकेशन पर तलाश करने लगे जब पुलिस टीम लोग कैंट रेलवे स्टेशन बनारस के बाहर ऑटो स्टैंड पर तलाश कर रहे थे तभी अपहृता ने एक लड़का व लड़की को देखकर इशारा करके बताया कि वह दोनों हैं तब हम पुलिस टीम द्वारा लड़का व लड़की को वहीं ऑटो स्टैंड से अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी जलालीपूरा तेलियाना फाटक के पास थाना आदमपुरा जिला वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष को पकड़ लिया गया तथा अभियुक्त रवि गुप्ता के साथ पवन गेस्ट हाउस होटल में ले गए जहां के मैनेजर धीरज S/O अशोक कुमार निवासी फुलवरिया सरैया थाना कैंट जिला वाराणसी मिले जिनको समय करीब 20.40 बजे कैन्ट वाराणसी से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 448/2023 धारा

363/354/120बी भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नाम पता अभियुक्तः-

1. रवि गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी जलालीपूरा तेलियाना फाटक के पास थाना आदमपुरा जिला वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष
2. धीरज पुत्र अशोक कुमार नि0 फुलवरिया सरैया थाना कैंट जिला वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष वर्ष

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्मचारीगणः-

1. उ0नि0 प्रदीप कुमार सिरोही थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर
2. उपनि0 राजेश कुमार थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर
3. उपनि0 रजनीश कुमार थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर
4. का0 124 अजय थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर
5. म0का0 198 कंचन थाना नौबस्ता कमिश्नरेट कानपुर नगर